न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/629/2025

दायर दिनांक 06.08.2025

उनवान

1. मिठू दत्तक पुत्र दलीचन्द जाति जाट आयु वयस्क निवासी रोलिया तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़।

–– वादी

बनाम

1. कंचनदेवी पत्नी नंदराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी रोलिया तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़।
2. तहसीलदार कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

–– प्रतिवादीगण

–: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट :–

निर्णय दिनांकः 30.04.2026

–:निर्णयः–

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया गया कि मौजा रोलिया के हल्के बैरूनी में आराजी नम्बर 1422/203, 204, 208, 209, 669, 678 कुल किता 6 कुल रकबा 1.3300 हैक्ट0 स्थित है जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा निहित है तथा आराजी नम्बर 1289 चाही है, व पारिवारिक सजरा प्रस्तुत किया।

यह कि किशोर ने अपने जीवनकाल में वादी व उसके भाई के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत की। जिससे वो सभी आराजीयात का खातेदार है किन्तु रामेश्वर का नाम इन्द्राज होने से उसने अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 02/08/2022 को विक्रय किया। आराजीयात खाते में संयुक्त दर्ज है रामेश्वर सिंहपुर गोद चला गया जिससे उसका अपने मुल पिता की आराजीयात में हक नही है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 04/08/2022 मेरी आराजीयात में प्रवेश करने से मना किया तो प्रतिवादीया संख्या 1 इन्कार हो गई विक्रय न करने के लिए कहा तो भी इन्कार हो गई जिससे वाद कारण 04/08/2022 से एवं तत्पश्चात निरन्तर पैदा हो रहा है।

यह कि वादी खातेदार है प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में है जिससे प्रतिवादी संख्या बिना विभाजन कराये हिस्से विशेष पर कब्जा कर लेगी तो वादी को अपार क्षति होगी वादी ने आराजीयात का बिल काश्त बनाया सुविधा सन्तुलन भी वादी के पक्ष में है प्रतिवादी संख्या 2 लण्ड लार्ड होने से पक्षकार बनाया गया है।

अतः निवेदन है कि मौजा रोलिया की आराजी संख्या 1422/203, 204, 208, 209, 669, 678, व 1289 में प्रतिवादी संख्या 1 हिस्से विशेष पर कब्जा न करें तथा अन्य को विक्रय न करें इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल दाधीच का अधिकार पत्र व जवाब प्रस्तुत जो शा0फा0 है। प्रकरण में तनकीयात कायम की गई जो निम्नानुसार है–

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

1. आया मौजा रोलिया हल्के बैरूनी की वादी की सहखातेदारी की आराजी संख्या 1422/203, 204, 208, 209, 669, 678 बाबत वादी वाद अनुसार स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है?

——जिम्मेवादी

2. दादरसी

हमने सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेजों का अवलोकन किया। की गयी बहस पर मनन किया। वादपत्र का निर्णय तनकीवार किया जाना है तनकी संख्या 01 आया मौजा रोलिया हल्के बैरूनी की वादी की सहखातेदारी की आराजी संख्या 1422/203, 204, 208, 209, 669, 678 बाबत वादी वाद अनुसार स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है? जिसको सिद्ध कराने का जिम्मा वादी पर था। वकील वादी द्वारा वादपत्र की तायद में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये है जिससे उक्त तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है। तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्ध निर्णित होने से वादी अपना वादपत्र सिद्ध कराने में असफल रहा। अतः वादी का वाद पत्र सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मणीलाल तीसार)
सहायक कलक्टर
(फास्ट–ट्रेक) कपासन